

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
सं०-सं०वि०क०नि०-1-16/4/11-2014-136/13
लखनऊ:दिनांक: 14 अक्टूबर, 2014

-:: कार्यालय ज्ञाप ::-

वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-561/दस-62(एम)/2008 दिनांक 04.05.10 एवं उसके साथ वित्त विभाग के सपटित शासनादेश सं०-वे०आ०-2-2118/दस-62(एम)/2008, दिनांक 22.12.2011, में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग के 23 अधिकारियों को असि० कमिश्नर के पद पर 26 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में रू० 37400-67000 ग्रेड पे-8700 का वेतनमान कार्यालय-ज्ञाप सं०-सं०वि०क०नि०-1-2062/11-2013-136/13, दिनांक 07.01.2014 द्वारा स्वीकृत किया गया।

2- वाणिज्य कर विभाग के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत उनके कनिष्ठ अधिकारियों को 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में ग्रेड पे रू० 8700/- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.01.2014 से स्वीकृत हो जाने के उपरान्त वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों कार्मिकों का भर्ती स्रोत एवं सेवा शर्तें समान होने तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंन्नयन के लिये अर्ह होता, संबंधी वित्त वेतन आयोग के स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश वे०आ०-2-2118/दस-62(एम)/2008, दिनांक 22.12.2011 के प्रस्तर-3 के प्राविधानानुसार संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन कनिष्ठ कर्मचारी को ए०सी०पी० की व्यवस्था में प्राप्त वित्तीय स्तरोंन्नयन से निम्न होने की स्थिति में उक्त लाभ स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया। सम्यक् विचारोंपरान्त ऐसे वरिष्ठ कार्मिकों को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोंन्नयन कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराये जाने संबंधी वित्त वेतन आयोग के उक्त शासनादेश दिनांक 22.12.2011 के प्रस्तर-3 के प्राविधानानुसार वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कनिष्ठ कर्मचारी को ए०सी०पी० की व्यवस्था में प्राप्त तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में रू० 37400-67000 ग्रेड पे रू० 8700/- का वेतनमान एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

| क०सं० | अधिकारी का नाम | 26 वर्षीय तृतीय स्तरोंन्नयन की देय तिथि |
|-------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सर्वश्री गोपाल कृष्ण गोयल | 01-12-2008 |
| 2. | कृष्ण स्वरूप कुशवाहा | 01-12-2008 |
| 3. | अरुण कुमार दीक्षित | 01-12-2008 |
| 4. | किरण कुमार | 01-12-2008 |
| 5. | दिनेश चन्द्र गुप्ता | 01-12-2008 |
| 6. | विद्याधर दुबे | 01-12-2008 |
| 7. | महेन्द्र प्रताप पाण्डेय | 01-12-2008 |
| 8. | देव प्रताप सिंह | 01-12-2008 |
| 9. | महेश अवस्थी | 01-12-2008 |
| 10. | जलभरत सिंह | 01-12-2008 |

रि० कमि०

२

कमिश्नर

वाणिज्य कर, लखनऊ
15-10-2014

2934
15/10/2014

क०सं० (र०म०)

15/10/2014

1758
16.10.14

10/10/2014


| | | |
|-----|--------------------------|------------|
| 11. | श्रीमती निरूपमा त्रिपाठी | 01-12-2008 |
| 12. | अरविन्द श्रीवास्तव | 01-12-2008 |
| 13. | चन्द्रशेखर मिश्रा | 01-12-2008 |
| 14. | बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव | 01-12-2008 |
| 15. | श्रीकृष्ण यादव | 01-12-2008 |
| 16. | जय प्रताप सिंह | 01-12-2008 |
| 17. | रमेश प्रसाद जायसवाल | 01-12-2008 |
| 18. | रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव | 01-12-2008 |
| 19. | योगेन्द्र कुमार | 01-12-2008 |
| 20. | मोहम्मद हातिम | 01-12-2008 |
| 21. | कल्याण कुमार मिश्रा | 01-12-2008 |
| 22. | सत्येन्द्र कुमार गंगवार | 01-12-2008 |
| 23. | छेदी प्रसाद | 01-12-2008 |
| 24. | बृजपाल सिंह | 01-12-2008 |
| 25. | भैया लाल सिंह | 01-12-2008 |
| 26. | अनिल कुमार सिंघल | 01-12-2008 |
| 27. | रामरूप | 01-12-2008 |
| 28. | विशम्भर दयाल | 01-12-2008 |
| 29. | राम नारायण राम | 01-12-2008 |
| 30. | मीर सिंह | 01-12-2008 |
| 31. | बृजेन्द्र कुमार सिंह | 01-12-2008 |
| 32. | जयपाल सिंह | 01-12-2008 |
| 33. | अनिल कुमार मिश्रा | 04-05-2009 |
| 34. | सुरेश उपाध्याय | 04-05-2009 |
| 35. | राम नाथ | 21-06-2009 |

हरेन्द्र वीर सिंह
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन-सं0वि0क0नि0-1-16/4 (1)/11-2014, तददिनांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महालेखाकार, लेखा द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संबंधित क्रोषाधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1/2
5. कर एवं निबन्धन अनुभाग-4
- ✓ 6. संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रभु शंकर)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: २० अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, सचिवालय, लखनऊ ।
- 2- अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त आदेश में उल्लिखित अधिकारियों में से जो अधिकारी सदस्य अधिकरण के पद पर कार्यरत है/ सेवा निवृत्त हो गये है, उन्हे अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश से अपने जोन में कार्यरत /जोन से सेवा निवृत्त हुए सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- सम्बन्धित समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5- सम्बन्धित समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर/वाणिज्य कर, अधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से उपरोक्तानुसार अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण/जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर के माध्यम से ।
- 7- असिस्टेन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट हेतु ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।